संख्या / 18–XIX-2 / 41 खाद्य / 2018

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– आयुक्त,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– जिलाधिकारी,
ऊधमसिंह नगर / हरिद्वार / चम्पावत / देहरादून / पौड़ी / नैनीताल।

3– संभागीय खाद्य नियंत्रक,
गढवाल संभाग, देहरादून /
कुमायूँ संभाग, हल्द्वानी।

4– महाप्रबन्धक,
भारतीय खाद्य निगम,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

5– निदेशक,
मण्डी परिषद,उत्तराखण्ड,
रूद्रपुर।

6– प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड राज्य सहकारी विपणन संघ लि0, उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग–2 देहरादून, दिनाँक 26 सितम्बर,2018

विषय : खरीफ–खरीद सत्र 2018–19 में विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत कच्चा आढ़तिया (कमीशन एजेन्ट) के माध्यम से धान की क्रय नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र सं0 8–3 / 2018–एस.एण्ड.आई. दिनांक 21.08.2018 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गुण विनिर्दिष्टियों के आधार पर खाद्यायुक्त के पत्र सं0 1245 / आ0वि0शा0 / मॉ0ड्रा0 / 2018–19 दिनांक 07.09.2018 के द्वारा खरीफ विपणन सत्र 2018–19 में कच्चा आढ़तिया के माध्यम से धान की खरीद नीति के प्रस्तावित मॉडल ड्राफ्ट अनुमोदन हेतु प्राप्त हुआ है।

उक्त के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खरीफ–खरीद सत्र 2018–2019 में दिनांक 01.10.2018 से निम्न प्रस्तरों में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की मण्डियों में कृषकों द्वारा अपनी उपज का विक्रय हेतु लाया गया धान कच्चा आढतिया (कमीशन एजेन्ट) के माध्यम से क्रय किया जायेगा। धान की खरीद हेतु आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने हेतु समय सारिणी, शासनादेश संख्या 544 / 18–XIX-2 / 41 खाद्य / 2018, दिनाँक 17.07.2018 द्वारा जारी की जा चुकी है। जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2 (1) धान का मूल्य एवं गुण–विनिर्दिष्टियाँ :–

खरीफ खरीद सत्र 2018–2019 के लिए विभिन्न श्रेणी के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (क्रय मूल्य) भारत सरकार के पत्र संख्या–3(4) / 2018–PY–1 दिनाँक 27.07.2018 द्वारा निम्नवत निर्धारित किया गया है :–

धान श्रेणी	मूल्य रूपये प्रति कुन्टल
कामन	1750.00
ग्रेड "ए"	1770.00

A

(2) उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली के पत्र संख्या–8–3/2018–S&I दिनाँक 21.08.2018 द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2018–2019 के लिये धान क्रय हेतु निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों के अनुरूप धान का क्रय किया जायेगा।

3–धान का क्रय :–

शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में खरीफ–खरीद सत्र 2018–19 के अर्न्तगत धान का क्रय नामित क्रय एजेन्सियों के अतिरिक्त कच्चा आढ़तिया (कमीशन एजेन्ट) के माध्यम से भी सुनिश्चित किया जायेगा, जो कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सब एजेन्ट के रूप में कार्य करेंगे। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा कच्चा आढ़तिया से धान का क्रय भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों के अनुरूप 50 किग्रा0 भर्ती के नये एस0बी0टी0 में किया जायेगा।

राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के प्राथमिक परिवारों, अन्त्योदय अन्न योजना एवं Tide Over Allocation के अर्न्तगत भारत सरकार से प्राप्त चावल की कुल आवंटन की 13 माहों की आवश्यकता एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–3(5)/2018–पी0वाई0–I दिनांक 09.08.2018 द्वारा राज्य हेतु निर्धारित धान/चावल क्रय के 7.50/5.00 लाख मी0टन लक्ष्य की पूर्ति के लिये मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत क्रय एजेन्सियों हेतु निर्धारित किये गये धान क्रय के लक्ष्य के अतिरिक्त खरीफ–खरीद सत्र 2018–19 हेतु अवशेष 6.00 लाख मी0टन धान कच्चा आढ़तिया (कमीशन एजेन्ट) के माध्यम से मूल्य समर्थन योजना के अर्न्तगत क्रय किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है ।

राज्य सरकार द्वारा नामित क्रय संस्थाओं द्वारा कृषकों से मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य **1.50 लाख** मी0टन धान क्रय की पूर्ति न होने की दशा में क्रय न हो पायी धान की मात्रा का क्रय भी कच्चा आढ़तिया के माध्यम से कराने का निर्णय आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा धान खरीद की सम्भागवार समीक्षा उपरान्त लिया जायेगा ।

4– कच्चा आढ़तियों के माध्यम से धान खरीद की व्यवस्था :–

1. खरीफ–खरीद सत्र 2018–19 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत उन्हीं कच्चा आढ़तियों के माध्यम से धान का क्रय किया जायेगा, जिन्हें मण्डी समिति द्वारा खाद्यान्न व्यापार करने हेतु कमीशन एजेन्ट का वैध लाईसैंस प्रदत्त किया गया हो व जो जी0 एस0 टी0 में पंजीकृत हों। **ऐसे कमीशन एजेन्ट जो पूर्व वर्षों में विभाग द्वारा काली सूची में अंकित किये गये हों या जिनके विरूद्ध गत वर्ष की कोई विभागीय कार्यवाही प्रचलन में हो, ऐसे कमीशन एजेन्टों को धान क्रय हेतु कदापि नियुक्त नहीं किया जायेगा।**
2. मण्डी समिति द्वारा लाईसेन्स प्रदत्त कच्चा आढ़तिया (कमीशन एजेन्ट) को सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक कार्यालय में अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा । पंजीकृत होने उपरान्त ही उन्हें धान खरीद हेतु खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सब–एजेन्ट के रूप में अधिकृत किया जायेगा। इस हेतु कच्चा आढ़तियों को सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा केन्द्रवार एक कोड नम्बर भी आवंटित किया जायेगा।

पंजीकरण के समय प्रत्येक कच्चा आढतिया से धनराशि रूपये **5.00 लाख (पाँच लाख मात्र)** की एफ0डी0आर0 जो कि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत की गई हो

तथा सम्भागीय खाद्य नियंत्रक के नामे बंधक हो, प्रतिभूति के रूप में जमा करायी जानी अनिवार्य होगी ।

3. कच्चा आढ़तिया के माध्यम से धान का क्रय भारत सरकार द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2018–2019 हेतु निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों के अनुरूप खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की विपणन शाखा के माध्यम से किया जायेगा। कच्चा आढ़तिया को भारत सरकार द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2018–19 के लिए धान कामन/धान ग्रेड–ए हेतु घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य का एक प्रतिशत (1%) कमीशन अनुमन्य होगा।
4. कच्चा आढ़तिया के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य के अन्तर्गत धान का क्रय दिनाँक **01.10.2018** से प्रारम्भ कर दिनाँक **28.02.2019** तक किया जा सकेगा। राजकीय/सार्वजनिक अवकाश के दिनों में कच्चा आढ़तिया से धान का क्रय नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि 28.02.2019 के पश्चात किसी भी दशा में धान का क्रय नहीं किया जायेगा।

5– <u>धान खरीद की प्रक्रिया</u> :–

1. कृषकों द्वारा विक्रय हेतु लाये गये धान की मण्डी परिसर में उपस्थित व्यापारियों के समक्ष खुली बोली लगाने की व्यवस्था मण्डी समिमि द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। धान की अधिकतम बोली न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम प्राप्त होने पर तथा धान भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होने पर ही कच्चा आढ़तिया के माध्यम से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विभाग हेतु क्रय करा लिया जायेगा। इस कार्य हेतु मण्डी समिति नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगी तथा मण्डियों में प्रतिस्पर्धापूर्ण ढंग से धान की नीलामी की व्यवस्था कराना भी सुनिश्चित करायेगी। धान क्रय हेतु निर्धारित सभी विपत्रों का रखरखाव एवं प्रतिदिन खरीद का लेखा–जोखा भी रखा जायेगा।
2. मण्डियों में कृषकों को उनकी उपज का धान उतारने, धान की सफाई–छनाई आदि की सुविधायें उपलब्ध कराने का दायित्व कच्चा आढतिया का होगा। इसके लिये उसके द्वारा मण्डी समिति की निर्धारित दरों पर कृषकों से भुगतान प्राप्त किया जायेगा। यदि कृषक द्वारा उक्त समस्त कार्य स्वयँ ही सम्पन्न किया जाता है तथा कच्चा आढ़तिया की सेवायें नहीं ली जाती हैं तो कृषक/कच्चा आढतिया को उक्त भुगतान देय नहीं होगा।
3. कच्चा आढ़तिया द्वारा क्रय किये गये धान का संचरण/कुटाई सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल/कुमायूँ सम्भाग द्वारा निर्दिष्ट चावल मिल में करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी :–

(1)–सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा केन्द्रों पर क्रय किये धान की कुटाई का कार्य अपने कार्यालय में पंजीकृत चावल मिलों से उनके द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति की धनराशि, सत्यापित कुटाई क्षमता एवं साख के आधार पर मिलों की अभिरक्षा में दी जायेगी।

(2)–सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक द्वारा कच्चा आढतिया के लिये केन्द्रवार धान क्रय का लक्ष्य भी निर्धारित किया जायेगा। इस हेतु कुमायूँ सम्भाग के लिए 5.50 लाख मी0टन तथा गढ़वाल सम्भाग के लिए 0.50 लाख मी0टन धान क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।

(3)–सम्बन्धित क्रय केन्द्र के वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक द्वारा कच्चा आढतिया के माध्यम से क्रय धान भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों का होने पर तथा गुणवत्ता/वजन से संतुष्ट होने के उपरान्त ही सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा निर्दिष्ट चावल मिल की अभिरक्षा में चावल मिलर को मौके पर ही हस्तगत करा

दिया जायेगा तथा इस हेतु चावल मिलर से एक अभिरक्षा प्रमाण पत्र भी मौके पर प्राप्त किया जायेगा।

(4)–निर्दिष्ट चावल मिलर द्वारा क्रय केन्द्र पर क्रय/संग्रहित धान की मात्रा वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक से धान की गुणवत्ता, वजन तथा बोरों की गुणवत्ता से पूर्णतः संतुष्ट होने उपरान्त ही अपनी अभिरक्षा में लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में अभिरक्षा प्रमाण पत्र पर ही स्पष्ट अंकन करते हुये चावल मिलर द्वारा धान की प्राप्ति वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक को दी जायेगी ।

(5)–चावल मिलर द्वारा क्रय केन्द्र पर धान/बोरों/वजन की संतुष्टि उपरान्त अपनी मिल तक धान का परिवहन स्वयँ कराना होगा। मिलर द्वारा अपनी अभिरक्षा में धान प्राप्त करने के उपरान्त उसके मिल परिसर तक परिवहन कराने तथा मिल में पहुँचाने के पश्चात उसके निस्तारण तक धान के वजन, गुणवत्ता एवम् सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी प्राप्तकर्ता चावल मिलर की होगी।

(6)–जिन चावल मिलों द्वारा गत वर्षों का कस्टम मिल्ड चावल, धान तथा विभागीय बोरे विभाग को वापस न किये गये हों, ऐसे चावल मिलर्स को धान तब तक कुटाई हेतु नहीं दिया जायेगा जब तक कि उनके द्वारा गत् वर्षों का समस्त बकाया सी0एम0आर0/बोरे विभाग को वापस न कर दिये जायें।

(7)–धान की कुटाई उपरान्त सम्बन्धित चावल की डिलीवरी सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा निर्धारित स्टेटपूल डिपो पर की जायेगी इसके लिये 08 कि0मी0 तक के परिवहन का भुगतान देय नहीं होगा।

(8)–किराये पर चलाई जा रही ऐसी चावल मिलों को धान कुटाई हेतु इस शर्त के साथ दिया जायेगा जो चावल मिल के मूल मालिक एवम् दो अन्य प्रतिष्ठित चावल मिलों की गारन्टी उपलब्ध करायेगा, जिस पर सम्बन्धित क्षेत्र के उप सम्भागीय विपणन अधिकारी की स्पष्ट संस्तुति अंकित की जानी अनिवार्य होगी। क्रय धान की कुटाई हेतु चावल मिलों के चयन के समय सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा सम्बन्धित केन्द्र के वरिष्ठ विपणन अधिकारी/उप सम्भागीय विपणन अधिकारी की सुस्पष्ट संस्तुति भी प्राप्त की जायेगी।

(9)–धान की कुटाई हेतु संबधित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा क्रय–केन्द्रो को चावल मिलों से इस प्रकार सम्बद्व किया जायेगा कि राज्य सरकार को परिवहन मद में कम से कम व्यय वहन करना पडे।

(10)–खरीफ–खरीद सत्र 2018–19 हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों से भिन्न धान का क्रय किसी भी केन्द्र पर कदापि नहीं किया जायेगा।

6–<u>क्रय केन्द्रों पर कॉटों तथा बॉटों का सत्यापन</u> :–

प्रत्येक मण्डी में कच्चा आढ़तिया द्वारा प्रयोग किये जाने वाले काँटे–बाट का सत्यापन एवं समय–समय पर नियमानुसार उनका निरीक्षण विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा किया जायेगा। समस्त वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक यह भी ध्यान रखेंगे कि कच्चा आढ़तिया द्वारा सही काँटे–बाट का ही प्रयोग किया जा रहा हो जिससे किसानों द्वारा विक्रय हेतु लाये गये धान की सही तौलाई हो तथा उनका शोषण न होने पाये।

7–<u>क्रय एजेंसियों हेतु बोरे की व्यवस्था</u> :–

(1) कच्चा आढ़तिया को धान क्रय हेतु नये एस0बी0टी0 की व्यवस्था खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल/कुमायूँ सम्भाग द्वारा खाद्य विभाग के पास उपलब्ध नये एस0बी0टी0 मण्डियों

में धान खरीद के लक्ष्य के अनुसार कच्चा आढ़तिया को केन्द्र प्रभारियों के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(2) विगत में समस्त एस0बी0टी0 कुमायूँ सम्भाग में हो कॉनकोर के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, ऐसी स्थिति में सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल सम्भाग अपने सम्भाग की धान खरीद की सम्भावना के अनुरूप एस0बी0टी0 की माँग सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, कुमायूँ सम्भाग से करेंगे, जिसे सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, कुमायूँ सम्भाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) विभाग के पास उपलब्ध नये एस0बी0टी0 यदि पूर्ण रूप से धान क्रय में प्रयुक्त हो जाते हैं तथा धान क्रय हेतु बोरों की कमी होती है तो ऐसी विषम परिस्थितियों में ही कच्चा आढ़तिया/चावल मिलर्स निर्धारित बी0आई0एस0 मानकों के नये एस0बी0टी0 की व्यवस्था सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त अपने स्तर से करना सुनिश्चित करेगें जिसकी प्रतिपूर्ति कोलकाता से प्राप्त बोरों से सुनिश्चित की जायेगी।

(4) खरीफ–विपणन सत्र 2018–19 हेतु 2.50 करोड लाख नये एस0बी0टी0 पटसन आयुक्त, कोलकाता के माध्यम से क्रय किये जा रहे हैं जिनकी प्राप्ति माह अक्टूबर, 2018 के अंत तक सम्भावित है। अतः क्रय केन्द्रों पर बोरों की तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत यदि कच्चा आढतिया/चावल मिलर्स से नये एस0बी0टी0 लिये जाने का निर्णय लिया जाता हैं तो धान/कस्टम मिल्ड चावल में प्रयुक्त प्रत्येक नये एस0बी0टी0 पर **"उत्तराखण्ड सरकार"** एवं खरीफ–विपणन सत्र 2018–19, क्रय केन्द्र का नाम व चावल की किस्म गहरे रंग के स्टैन्सिल से अंकित किया जाना अनिवार्य होगा जो कि स्पष्ट व पठनीय हो।

(5) वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षकों द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि किसी भी दशा में कच्चा आढ़तिया द्वारा धान क्रय हेतु एक बार प्रयोग किये गये अथवा अधोमानक (Sub Standard) बोरे प्रयोग में न लाये जायें।

इसी प्रकार यदि कस्टम मिल्ड चावल की डिलीवरी स्टेट पूल डिपो अथवा भारतीय खाद्य निगम डिपो पर बोरे अधोमानक (Sub Standard) पाये जाते हैं तो इसके लिये सम्बन्धित चावल मिलर पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें। प्राप्तकर्ता स्टेटपूल डिपो प्रभारियों द्वारा किसी भी दशा में अधोमानक बोरे प्राप्त नहीं किये जायेंगे। यदि निरीक्षण में यह अनियमितता प्रकाश में आती है तो प्रेषणकर्ता/प्राप्तकर्ता कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक/विभागीय कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

कच्चा आढतिया के माध्यम से क्रय किये गये धान से निर्मित सी0एम0आर0 का सम्प्रदान स्टेटपूल/भारतीय खाद्य निगम डिपो में करने के उपरान्त चावल मिलर्स के पास अवशेष बचे एस0बी0टी0 सम्बन्धित चावल मिलर के पक्ष में ही अवमुक्त कर दिये जायेंगें। चावल मिलर्स से इसके मूल्य की प्रतिपूर्ति खरीफ खरीद सत्र 2018–19 हेतु विकेन्द्रीकृत खरीद योजना के अर्न्तगत जारी कॉस्टिंग शीट के अनुसार Gunny Depreciation **के आधार पर सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित चावल मिलर्स की लिखित सहमति प्राप्त की जायेगी।**

08– <u>कच्चा आढ़तियों को धान के मूल्य का भुगतान</u> :–

(1)–न्यूनतम समर्थन मूल्य के अन्तर्गत कृषकों से क्रय किये गये धान के मूल्य का भुगतान कच्चा आढ़तिया द्वारा कृषकों को तत्काल आर0टी0जी0एस0/एकाउण्ट पेई चैक के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)–खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार कच्चा आढ़तियों के माध्यम से क्रय किये गये धान का भुगतान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैक से कैश क्रेडिट लिमिट प्राप्त करने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही वित्त नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। सी0सी0एल0 की स्वीकृति में विलम्ब होने की दशा में वित्त विभाग,उत्तराखण्ड शासन की सहमति से अग्रिम धनराशि खाद्य विभाग के लेखाशीर्षक "4408" से आहरित कर सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारियों को उनकी औचित्यपूर्ण मॉग पर उपलब्ध करायी जायेगी।

(3)–कच्चा आढ़तिया द्वारा कृषकों को किये गये भुगतान की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित केन्द्र के वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों के आधार पर सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी द्वारा ई–पेमेन्ट/एकांउट पेई चैक के माध्यम से कच्चा आढ़तिया को की जायेगी।

(4)–कच्चा आढ़तिया द्वारा क्रय किया गया धान कुटाई हेतु वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक के माध्यम से चयनित चावल मिल को हस्तगत कराने उपरान्त भुगतान प्राप्त करने हेतु वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक को 9 आर (कच्चा आढ़तिया के बिल) प्रस्तुत करना होगा, जिसमें कृषकों से धान खरीद की पुष्टि हेतु 6 आर की स्वप्रमाणित छायाप्रति, कृषक को किये गये आर0टी0जी0एस0/एकाउण्ट पेई चैक की रसीद, मण्डी शुल्क के भुगतान सम्बन्धी साक्ष्य तथा क्रय धान से निर्मित सी0एम0आर0 के प्रेषण एवं प्राप्तकर्ता स्टेटपूल डिपो प्रभारी की प्राप्ति सम्बन्धी मूल मूवमेन्ट चालान संलग्न किये जाने अनिवार्य होंगे।

सम्बन्धित वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक द्वारा प्राप्त विपत्रों का परीक्षण/पुष्टि करने के उपरान्त ही अपनी संस्तुति सहित इन्हे भुगतान हेतु सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी के कार्यालय में प्रेषित किया जायेगा तथा केन्द्र पर मिलवार/कच्चा आढ़तियावार पंजिका तैयार की जायेगी।

सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी द्वारा केन्द्रों से विपत्र प्राप्त होने पर कच्चा आढ़तिया के पक्ष में विलम्बतम 01 सप्ताह में ई–पेमेन्ट/एकांउट पेई चैक के माध्यम से आयकर अधिनियम–1956 के अधीन सुसंगत नियमों के अधीन आयकर की कटौती कर भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

(5)–कच्चा आढ़तिया द्वारा धान खरीद के सम्बन्ध में किये गये हैण्डलिंग कार्य के व्यय की धनराशि के तदर्थ प्रासंगिक व्यय का भुगतान भी उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये बिल के अनुसार केन्द्र प्रभारी की संस्तुति पर सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी (खाद्य) द्वारा ई–पेमेन्ट/एकाउन्ट पेई चैक के माध्यम से किया जायेगा। इस निमित्त कच्चा आढ़तिया को हैण्डलिंग चार्जेज का भुगतान भारत सरकार द्वारा खरीफ–विपणन सत्र 2018–19 हेतु जारी सी0एम0आर0 की कॉस्टिंग सीट में अनुमन्य हैण्डलिंग दरों के अनुसार किया जायेगा।

(6) इसके अतिरिक्त चावल मिलर्स को भारत सरकार द्वारा कॉस्टिंग शीट में स्वीकृत 01 प्रतिशत सूखन (Driage) का भुगतान भी नियमानुसार अनुमन्य होगा।

(7) खरीफ–खरीद सत्र 2018–19 में धान क्रय–केन्द्र से चयनित चावल मिल तक धान का परिवहन कराने तथा धान की कुटाई उपरान्त निर्मित कस्टम मिल्ड चावल को स्टेटपूल/भारतीय खाद्य निगम डिपो तक परिवहन कराने हेतु जिस चावल मिलर को धान कुटाई हेतु अधिकृत किया जायेगा **उसी चावल मिलर द्वारा ही क्रय धान/उदग्रहित कस्टम मिल्ड चावल का संचरण सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा निर्दिष्ट स्टेटपूल/भारतीय खाद्य निगम डिपो पर सुनिश्चित कराया जायेगा।**

A

(8)–क्रय केन्द्रों से चावल मिल परिसर तक धान के परिवहन तथा चावल मिलों से स्टेटपूल/भारतीय खाद्य निगम डिपो तक कस्टम मिल्ड चावल का 08 किमी0 तक सम्प्रदान चावल मिलर द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा। इस हेतु चावल मिलर को परिवहन दरों का भुगतान भारत सरकार द्वारा खरीफ–खरीद 2018–2019 हेतु निर्धारित कुटाई/परिवहन दरों के अनुसार अनुमन्य होगा। 08 किमी0 से अधिक दूरी के लिए जिलाधिकारी द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2018–19 हेतु निर्धारित स्थानीय परिवहन दरें या भारतीय खाद्य निगम की दरें, जो भी कम हों, चावल मिलर्स को अनुमन्य होगी।

(9)–कच्चा आढतिया को देय निर्धारित आढ़तिया कमीशन तथा हैण्डलिंग व्यय का भुगतान निर्धारित दरों पर नियमानुसार टीडीएस की कटौती करने के उपरान्त सुनिश्चित किया जायेगा तथा कटौती की गई धनराशि को सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी (खाद्य) द्वारा सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कराकर इसकी मासिक सूचना वित्त नियंत्रक को उपलब्ध करायी जायेगी।

09– <u>केन्द्र पर रखे जाने वाले अभिलेख</u> :–

वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक द्वारा पृथक से कच्चा आढ़तिया के माध्यम से क्रय धान हेतु निम्नलिखित अभिलेख अनिवार्य रूप से रखे जायेंगे :–

(01) कच्चा आढ़तिया पंजिका।
(02) धान की क्वालिटी का विश्लेषण रजिस्टर।
(03) मूवमेन्ट चालान।
(04) स्टाक रजिस्टर।
(05) बोरा रजिस्टर।
(06) बिल बुक।
(07) निरीक्षण पंजिका।
(08) रिजैक्सन पंजिका।
(09) मिलवार धान प्रेषण एवम् चावल प्राप्ति पंजिका।

10– <u>चावल मिलर द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख</u> :–

चावल मिलर को कुटाई हेतु खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा कच्चा आढ़तिया से खरीदे गये धान के सम्बन्ध में निम्नलिखित अभिलेख पृथक से अनिवार्य रूप से रखे जायेंगे:–

(01) धान प्राप्ति का स्टाक पंजिका।
(02) धान कुटाई पंजिका।
(03) बोरा पंजिका।
(04) सी0एम0आर0 सम्प्रदान पंजिका।

11–<u>धान की बोरों में भराई सिलाई एवं स्टेन्सिलिगं</u> :–

(1)–कच्चा आढ़तिया द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मण्डियों में कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय किये गये धान को प्रति एस0बी0टी0 40 कि0ग्रा0 वजन में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये अथवा स्वयँ उपलब्ध कराये जाने वाले नये एस0बी0टी0 में उल्टा भरकर 12 टाँकों से मजबूत सुतली से सिलाई कर प्रत्येक बोरे पर खरीद वर्ष, भराई की तिथि, कच्चा आढ़तिया का कोड, जो कि सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा केन्द्रवार आवंटित किया जायेगा, धान का ग्रेड़ तथा भरते समय धान का वजन चटक रंग से स्टेंसिलिंग कराया जायेगा, जिससे पढ़ने में सुविधा हो एवं यह भी स्पष्ट हो सके कि उक्त धान किस कच्चा आढ़तिया द्वारा किस केन्द्र पर क्रय किया गया है।

चावल मिलर द्वारा उनकी मिल को प्रेषित किये गये धान की कुटाई करने के उपरान्त रिक्त हुये बोरों को सीधा करके कस्टम मिल्ड चावल भरा जायेगा तथा उसमें निर्धारित मिल का मार्का अंकित किया जायेगा। कस्टम मिल्ड चावल का सम्प्रदान

किये जाने के उपरान्त चावल मिलर के पास बचने वाले अवशेष बोरे मिलर द्वारा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को वापस किये जायेंगे, जिसके पश्चात ही मिलर को धान की कुटाई के मूल्य तथा अन्य मदों का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। केन्द्र प्रभारी/मिल पर तैनात वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक इसके लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(2)–कच्चा आढ़तिया द्वारा उपरोक्तानुसार सिलाई एवं स्टेसिंलिगं न करने पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा कच्चा आढ़तिया के विपत्रों से यथा स्थिति निम्न प्रकार कटौतियॉ की जायेगी :–

(अ) खराब सिलाई 12 टाँको से कम तथा खराब सुतली लगने पर 75 पैसे प्रति एस0बी0टी0

(ब) स्टेंन्सिल न करने या खराब करने पर रू0 1.00 प्रति एस0बी0टी0 तथा कैनवास स्लिप न लगाने पर 0.50 पैसे प्रति एस0बी0टी0।

12– <u>स्टेंसिलिंग/ब्रान्डिंग एवं कलर कोडिंग हेतु रंगों का प्रयोग निम्न प्रकार किया जायेगा</u> :–

(1) भारत सरकार के पत्र संख्या–15(1)/2012–पी0वाई0.III/318639 दिनॉक 12–04–2018 द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2018–19 में चावल क्रय में प्रयुक्त होने वाले नये एस0बी0टी0 (50 कि0ग्रा0) बोरों पर निम्नानुसार कलर कोडिंग/स्टैन्सलिंग की जायेगी :–

1- On every bag, there will be Colour coded strips for identification marking at distance of about 150 mm away from any one side of the selvedge. Each strip will be width of **" 04 threads running along the length of the bag"** and shall be in **" RED "** colour. Single strip is to be printed for bags to be supplied through DGS&D . For open market supply to millers etc. two strip should be printed on both side of center strip as mentioned in para below.

2- Stencil as per requirments shall be in " BLUE" colour.

3- Marking or Stitching on the mouth of the bag after filling the grain is done by the FCI/State Agencies in "RED" colour.

4- For indentification marketing or marketing season, the jute bag carries color coded strip/s.Width of the each strip is of 4 threads. Each strip runs along the length of the Bag and is in "RED" color.

(2)– चावल मिलर्स द्वारा कस्टम मिल्ड चावल के प्रत्येक बोरे के मुँह पर बाहर की ओर मशीन से सिलाई द्वारा 15x10 सेमी0 आकार की रैक्सीन/कैनवास की स्लिप, जिसमें चावल मिल का नाम, फसलवर्ष, कोड नम्बर, लाट संख्या, चावल की किस्म एवं चावल मिलर का मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से लगाया जायेगा।

13–<u>धान की आमद व बाजार भाव की समीक्षा</u> :–

जिलाधिकारी, उपसम्भागीय विपणन अधिकारी तथा सम्भाग स्तर पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा मण्डियों पर धान के बाजार भाव/आवक की नियमित समीक्षा की जायेगी। जिला स्तर पर जिला खरीद अधिकारी के पर्यवेक्षण में एक प्रकोष्ठ की स्थापना कर कच्चा आढ़तियों द्वारा क्रय किये गये धान की स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जायगी। साथ ही धान क्रय के सबंध में प्राप्त शिकायतों पर भी तत्परतापूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

निदेशक, मण्डी परिषद प्रतिदिन स्थानीय मण्डियों में होने वाली धान की आवक एवं दैनिक बाजार भाव की सूचना सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय के नियंत्रण कक्ष एवं

सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में स्थापित खाद्य नियंत्रण कक्ष को अनिवार्यतः उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

सम्भागीय स्तर पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक/सम्भागीय विपणन अधिकारी/उप सम्भागीय विपणन अधिकारी द्वारा धान क्रय की केन्द्रवार नियमित समीक्षा की जायेगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि क्रय केन्द्रों पर डिस्ट्रेस सेल की स्थिति उत्पन्न न हो। जहाँ भी धान के बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होने की सूचना प्राप्त हो अथवा कृषकों द्वारा डिस्ट्रेस सेल की संभावना प्रतीत हो वहाँ तत्परतापूर्वक कच्चा आढ़तिया द्वारा धान की खरीद नियमानुसार सुनिश्चित कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

खाद्यायुक्त स्तर पर धान खरीद एवम् निर्मित सी0एम0आर0 का नियमित अनुश्रवण खाद्यायुक्त कार्यालय में स्थापित खाद्य नियन्त्रण कक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा । सम्भागीय खाद्य नियन्त्रकों द्वारा नियमित रूप से कच्चा आढतिया द्वारा कय धान एवम् इससे निर्मित सी0एम0आर0 की दैनिक सूचना खाद्य नियन्त्रण कक्ष के ई–मेल foodcommfcs@gmail.com पर अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जायेगी। खाद्यायुक्त द्वारा संकलित दैनिक सूचना प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रस्तुत की जायेगी ।

14–<u>धान एवं कस्टम मिल्ड चावल के निरीक्षण हेतु दायित्व</u> :–

(1)– प्रभावी एवं सुचारू रूप से धान खरीद सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक केन्द्र/चावल मिल को सम्बन्धित वरिष्ठ विपणन अधिकारी द्वारा अपने अधीन तैनात विपणन निरीक्षक के सीधे नियंत्रण व पर्यवेक्षण में सम्बद्ध किया जायेगा, जो प्रतिदिन संग्रहीत राजकीय धान एवं कस्टम मिल्ड चावल की गुणवत्ता एवं मात्रा का सत्यापन करेगा और उसकी रिपोर्ट सम्बन्धित वरिष्ठ विपणन अधिकारी को देगा।

(2)– वरिष्ठ विपणन अधिकारी भी स्वयं चावल मिलों में संग्रहीत राजकीय धान एवं कस्टम मिल्ड चावल की गुणवत्ता एवं मात्रा का सत्यापन करेगें और अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट उप सम्भागीय विपणन अधिकारी/सम्भागीय विपणन अधिकारी को प्रेषित करेगें।

(3)– उप सम्भागीय विपणन अधिकारी स्वयं प्रत्येक पक्ष में चयनित राईस मिल के गोदाम में संग्रहित राजकीय धान एवं उससे उत्पादित कस्टम मिल्ड चावल की गुणवत्ता एवं मात्रा की जाँच करेगें और जाँच के उपरान्त अपनी पाक्षिक रिपोर्ट सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को प्रस्तुत करेगें, जिसकी एक प्रति खाद्यायुक्त को प्रेषित की जायेगी।

(4)– सम्भागीय विपणन अधिकारी स्वयं रेण्डम आधार पर 10 प्रतिशत चयनित चावल मिलों में संग्रहीत राजकीय धान एवं कस्टम मिल्ड चावल की गुणवत्ता व स्टॉक का सत्यापन करेगें तथा पाक्षिक रिपोर्ट सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को प्रस्तुत करेंगे, जिसकी एक प्रति खाद्यायुक्त को प्रेषित की जायेगी। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक भी चयनित मिल परिसर में संग्रहीत राजकीय धान एवं कस्टम मिल्ड चावल की गुणवत्ता एवं मात्रा की जाँच से सम्बन्धित रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे और उसकी मासिक रिपोर्ट खाद्यायुक्त को प्रेषित करेंगे।

(5)–समय–समय पर अपने अधीनस्थ स्टॉफ से रिपोर्ट न मिलने पर या अपूर्ण रिपोर्ट प्राप्त होने की दशा में उससे उच्च अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह तत्काल चयनित मिल या वरिष्ठ विपणन अधिकारी/उप सम्भागीय विपणन अधिकारी के कार्य क्षेत्र में आने वाली मिल में भण्डारित संग्रहीत राजकीय धान एवं कस्टम मिल्ड चावल के स्टॉक की आकस्मिक जाँच करें तथा उसकी रिपोर्ट प्रेषित करें।

A

(6)– खाद्य आयुक्त कार्यालय द्वारा भी समय–समय पर क्रय केन्द्रों एवम् चावल मिलों में संग्रहीत राजकीय धान एवं कस्टम मिल्ड चावल की गुणवत्ता व स्टॉक का सत्यापन करेगें तथा अपनी रिपोर्ट खाद्य आयुक्त को उपलब्ध करायेगें ।

(7)– चयनित मिल में संग्रहित राजकीय धान एवं उत्पादित कस्टम मिल्ड चावल की गुणवत्ता व स्टॉक की जाँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चावल मिल के स्टॉक की क्रॉस चैकिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक एक केन्द्र/जिले के स्टॉफ को दूसरे केन्द्र/जिले में भेजकर रैण्डम आधार पर समय–समय पर चावल मिल में संग्रहीत राजकीय धान एवं कस्टम मिल्ड चावल की गुणवत्ता व स्टॉक का सत्यापन करायेंगे।

15–<u>खरीदे गये धान का निस्तारण</u> :–

कच्चा आढ़तिया द्वारा क्रय किये गये धान का निस्तारण दो विकल्पों के आधार पर किया जायेगा :–

(1) क्रय किये गये धान को चावल मिलों से कुटाई कराकर निर्मित चावल कामन का सम्प्रदान विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली के अन्तर्गत निर्दिष्ट स्टेट पूल डिपो में किया जायेगा। स्टेटपूल योजना हेतु निर्धारित लक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त अवशेष सी0एम0आर0 का सम्प्रदान केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम को किया जायेगा।

अथवा

(2) क्रय किये गये धान को इसी रूप में ही राज्य में स्थापित किसी चावल मिल को विक्रय जा सकता है।

कच्चा आढ़तिया के माध्यम से खरीफ–खरीद सत्र 2018–19 में क्रय धान ग्रेड–ए से निर्मित चावल ग्रेड–ए का सम्प्रदान केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम को किया जायेगा।

16–<u>धान की कुटाई हेतु विपणन निरीक्षक/वरिष्ठ विपणन अधिकारी के दायित्व</u> :–

वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक सम्बन्धित चावल मिलों में धान/कस्टम मिल्ड चावल के स्टॉक की नियमित रूप से जाँच करते रहेंगे तथा यह सुनिश्चित करते रहेंगे कि चावल मिलर्स को राज्य सरकार द्वारा कुटाई हेतु दिया गया धान चोरी अथवा खुर्द–बुर्द न होने पावे। इस हेतु वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक निरंतर अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र में पडने वाली ऐसी चावल मिलों का निरीक्षण करेंगे, जिन्हें राजकीय धान कुटाई हेतु उपलब्ध कराया गया है। किसी भी प्रकार की अनियमितता होने की दशा में सम्बन्धित चावल मिलर्स के विरूद्व वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा सूचना तत्काल उप सम्भागीय विपणन अधिकारी तथा सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक को प्रेषित की जायेगी। सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक द्वारा भी दोषी चावल मिलर के विरूद्व तत्काल अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

17–<u>कच्चा आढ़तिया द्वारा खरीदे गये धान की कस्टम हलिंग</u> :–

(1)– धान की कुटाई के लिए सम्भाग स्तर पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक वरिष्ठ विपणन अधिकारी एवम् उप सम्भागीय विपणन अधिकारी की संस्तुति पर केन्द्रवार चावल मिलर्स का चयन करेंगे एवं उसी चावल मिलर को क्रय धान कुटाई हेतु देने का निर्णय लेगें जो कि सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में पंजीकृत होगा। इस हेतु सम्भागीय खाद्य

नियंत्रक सम्बन्धित क्षेत्र के उप सम्भागीय विपणन अधिकारी की आख्या प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(2)– क्रय केन्द्रों पर कच्चा आढतिया के माध्यम से क्रय किया गया धान चावल मिलों को उनकी जमा प्रतिभूति, कुटाई क्षमता, क्षमता के अनुरूप विद्युत संयोजन, गत वर्षों में की गयी धान की कुटाई व साख के अनुसार सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक द्वारा आवटिंत किया जायेगा ।

(3)– धान की कुटाई के लिए सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा क्रय केन्द्रो को सम्बन्धित वरिष्ठ विपणन अधिकारी की अधिकारिता क्षेत्र में पड़ने वाली चावल मिलों से इस प्रकार सम्बद्व किया जायेगा कि परिवहन मद में कम से कम व्यय भार देना पडे। इसी प्रकार चावल मिलों को भी दूरी के आधार पर निकटतम स्टेटपूल डिपो/भारतीय खाद्य निगम डिपो से सम्बद्ध किया जायेगा, ताकि परिवहन मद में कम से कम व्यय भार पड़े।

(4)– चावल मिलर को कुटाई हेतु उपलब्ध कराये गये राजकीय धान से निर्मित होने वाले कस्टम मिल्ड चावल की प्राप्ति, धान दिये जाने की तिथि से अधिकतम् 15 दिन में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को प्राप्त कराया जाना अनिवार्य होगा। यदि कोई चावल मिलर कस्टम मिल्ड चावल देने में विलम्ब करता है तो सम्बन्धित वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक द्वारा इसकी सूचना तत्काल उपसम्भागीय विपणन अधिकारी को दी जायेगी।

(5)– सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा क्रय धान की कुटाई हेतु नियुक्त चावल मिलर्स से निर्धारित प्रारूप पर अनुबन्ध सम्पादित किया जायेगा जिस चावल मिलर को धान कुटाई हेतु उपलब्ध कराया जायेगा, वह राज्य सरकार को अपनी चावल मिल की कुटाई क्षमता के अनुसार विभाग के साथ सम्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध के साथ एक सप्ताह के अन्दर **अपनी कुटाई क्षमता के आधार पर 3.00 लाख रूपये प्रति टन तथा पट्टे/किराये अथवा किराये की भूमि पर संचालित की जा रही चावल मिलों द्वारा कुटाई क्षमता के अनुसार 4.00 लाख रूपये प्रति टन अथवा 20.00 लाख रूपये जो भी अधिक हो, की एफ0डी0आर0 प्रतिभूति के रूप में जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत की गयी हो तथा सम्भागीय खाद्यनियन्त्रक के नामे बंधक हो, उपलब्ध करायी जानी अनिवार्य होगी ।**

(6)– सम्भागीय खाद्य नियंत्रक सम्बन्धित बैंक में जमा प्रतिभूति की तथ्यात्मक पुष्टि कराये जाने के पश्चात ही चावल मिलर की अभिरक्षा में धान कुटाई हेतु उपलब्ध करायेंगे। चावल मिलर्स द्वारा राजकीय धान से निर्मित कस्टम मिल्ड चावल का सम्प्रदान राज्य सरकार को कर दिये जाने के उपरान्त यदि उन पर कोई विभागीय देयता (सी0एम0आर0/बोरा) शेष नहीं रहती है तो वरिष्ठ विपणन अधिकारी की संस्तुति पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा सत्र की समाप्ति उपरान्त जमा प्रतिभूति चावल मिलर्स के पक्ष में अवमुक्त कर दी जायेगी।

(07)– चावल मिलों को उपलब्ध कराया गया धान/ कस्टम मिल्ड चावल सम्बन्धित चावल मिलर द्वारा किसी बैंक अथवा संस्था में बन्धक नहीं रखा जायेगा । यदि इस प्रकार की जानकारी संज्ञान में आती है तो सम्बन्धित चावल मिलर के विरूद्व तत्काल वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उसे काली सूची में डालने की कार्यवाही सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(08)– धान की कुटाई हेतु चावल मिलों का चयन चावल मिलों से स्टेट पूल डिपो/भारतीय खाद्यनिगम डिपो की दूरी को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। सामान्यतः किसी चावल मिल को उसकी 25 से 30 प्रतिशत तक की कुटाई क्षमता के अनुरूप ही कुटाई हेतु धान उपलब्ध कराया जायेगा।

A

(09)– कुटाई के लिए धान से निर्मित चावल की रिकवरी भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अरवा के लिये 67 प्रतिशत तथा सेला के लिये 68 प्रतिशत निर्धारित की जाती है।

(10)– कुटाई के लिए चुनी गई चावल मिल द्वारा मिल परिसर में राजकीय धान की कुटाई तथा स्वयँ क्रय किये गये धान एवम् इसकी कुटाई से सबंधित अभिलेख पृथक–पृथक रखे जायेंगे, ताकि निरीक्षण/सत्यापन के समय स्टाक सत्यापित किये जाने पर किसी प्रकार की असुविधा न होने पावे। इसी प्रकार केन्द्रो पर भी कच्चा आढ़तिया के माध्यम से क्रय किये गये धान और प्राप्त कस्टम मिल्ड चावल से संबंधित अभिलेख पृथक–पृथक रखे जायेंगे ।

(11)– धान की कुटाई से सबंधित सूचना उप सम्भागीय विपणन अधिकारी/सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा पूर्व में निर्धारित प्रपत्र पर प्रतिदिन ई–मेल के माध्यम से खाद्य विभाग के जनपदीय/सम्भागीय/खाद्य आयुक्त कार्यालय में स्थापित खाद्य नियत्रण कक्ष को प्रेषित की जायेगी।

18– <u>सी0एम0आर0 का सम्प्रदान</u> :–

(1) सम्बन्धित सम्भाग के सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा निर्दिष्ट स्टेटपूल/केन्द्रीय पूल डिपो पर चावल मिलर्स द्वारा कस्टम मिल्ड चावल का सम्प्रदान स्टेटपूल/केन्द्रीय पूल में किया जायेगा, यदि स्टेटपूल/केन्द्रीय पूल में प्रेषित किया गया कस्टम मिल्ड चावल भारत सरकार द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2018–19 हेतु निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों के अनुरूप नहीं पाया जाता है तथा प्राप्तकर्ता डिपो प्रभारियों द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया जाता है तो चावल मिलर द्वारा कस्टम मिल्ड चावल का प्रतिस्थापन लॉट अपने मिल में उपलब्ध चावल की मात्रा से पुनः स्टेटपूल/केन्द्रीय पूल में सम्प्रदान किया जायेगा और ऐसी स्थिति में चावल मिलर को परिवहन/हैण्डलिंग मद में कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

यदि चावल मिलर कस्टम मिल्ड चावल का सम्प्रदान करने में असमर्थ रहता है अथवा कस्टम मिल्ड चावल राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं कराया जाता तो उतनी मात्रा में कस्टम मिल्ड चावल निर्मित करने में प्रयुक्त हुये धान का मूल्य, नये एस0बी0टी0 का मूल्य तथा अन्य व्ययों की वसूली सम्बन्धित चावल मिलर्स द्वारा सम्भागीय खाद्यनियन्त्रक के पक्ष में जमा करायी गयी प्रतिभूति से सुनिश्चित की जायेगी।

(2) क्रय केन्द्र प्रभारियों द्वारा स्टेटपूल योजना में संग्रहित किये गये चावल का लेखा जोखा इस प्रकार रखा जायेगा कि स्टेटपूल में निर्धारित लक्ष्य से अधिक चावल का प्रेषण न होने पावे। क्रय केन्द्र प्रभारियों द्वारा जिस संग्रह एजेन्सी के डिपो के लिये कस्टम मिल्ड चावल का मूवमैन्ट चालान निर्गत किया जायेगा चावल उसी निर्दिष्ट सग्रंह डिपो पर डिलीवर किया जायेगा। मूवमेन्ट चालानों पर किसी प्रकार की कटिंग/ओवरराइटिंग अनुमन्य नहीं होगी। सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी (खाद्य), गढ़वाल/कुमायूँ सम्भाग द्वारा कटिंग/ओवरराइटिंग वाले मूवमेन्ट चालानों पर कदापि मिलर्स को भुगतान नहीं किया जायेगा एवं इसकी सूचना तत्काल सम्बन्धित उपसम्भागीय विपणन अधिकारी/सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक तथा खाद्यायुक्त कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

(3) आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड तथा सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा विकेन्द्रीकृत योजना के अन्तर्गत खरीफ–खरीद सत्र 2018–19 में स्टेटपूल डिपोज पर ऐसे कार्मिकों की तैनाती यथासम्भव नहीं की जायेगी, जो विगत वर्षों में खरीफ–खरीद योजना में अनियमितता बरतने पर दण्डित किये गये हों अथवा जिनके विरूद्ध कोई भी विभागीय/अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलन में हो।

(4) क्रय केन्द्रों से स्टेटपूल डिपोज पर सम्प्रदान किये जाने वाले कस्टम मिल्ड चावल में प्रयुक्त मूवमैन्ट चालानों को क्रय केन्द्र प्रभारी वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक द्वारा ही निर्गत किया जायेगा। इस हेतु उनके द्वारा अपने नाम की मोहर भी बनायी जायेगी। प्राप्तकर्ता स्टेटपूल डिपो प्रभारियों द्वारा क्रय केन्द्र प्रभारी, वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक के बिना नाम/हस्ताक्षरयुक्त मूवमेन्ट चालानों पर प्राप्त चावल को स्वीकार नहीं किया जायेगा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कोई भी केन्द्र प्रभारी खाली (Blank) अथवा अपूर्ण अग्रिम मूवमेन्ट चालान किसी भी दशा में निर्गत नहीं करेगा।

(5) **इसी प्रकार स्टेटपूल डिपो पर तैनात वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक द्वारा भी मूवमेन्ट चालान पर अपने नाम की मोहर लगाकर प्राप्ति दी जायेगी। डिपो पर तैनात विपणन निरीक्षक से अन्यून कार्मिकों द्वारा प्राप्ति नहीं दी जायेगी। सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारियों द्वारा भुगतान से पूर्व इस तथ्य का भली–भांति परीक्षण किया जायेगा। उप सम्भागीय विपणन अधिकारी अपने–अपने कार्यक्षेत्रों में इसका अनिवार्यतः अनुपालन सुनिश्चित करायेगें ।**

(6) न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कच्चा आढ़तिया के माध्यम से क्रय किये गये धान से निर्मित कस्टम मिल्ड चावल का सम्प्रदान स्टेटपूल/केन्द्रीय पूल में अनिवार्यतः दिनाँक **30–06–2019** तक अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

19–<u>खरीफ–खरीद वर्ष 2018–19 हेतु चावल की गुण–विनिर्दिष्टियाँ</u> :–

खरीफ–खरीद वर्ष 2018–19 हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या–8–3/2018–S&I दिनाँक 21–08–2018 द्वारा चावल की गुण–विनिर्दिष्टियाँ जारी की गयी हैं जिसकी प्रति संलग्न है।

20–<u>धान के कुटाई से निर्मित कस्टम मिल्ड चावल का भण्डारण</u> :–

विकेन्द्रीकृत योजना के अर्न्तगत स्टेटपूल में कस्टम मिल्ड चावल की मात्रा का भण्डारण खाद्यायुक्त द्वारा निर्दिष्ट/आरक्षित विभागीय गोदामों, राज्य भण्डारण निगम एवम् केन्द्रीय भण्डारण निगम से किराये पर लिये गये गोदामों में संग्रहीत कराया जायेगा। **इस हेतु खाद्यायुक्त द्वारा CWC/SWC/विभागीय गोदामों की संग्रहण क्षमता आवश्यकतानुसार आरक्षित की जायेगी।** कस्टम मिल्ड चावल के भण्डारण उपरान्त चावल की गुणवत्ता एवं संग्रहित स्टॉक की सुरक्षा हेतु सम्बन्धित संग्रह एजेन्सियाँ अपने–अपने डिपोज पर संग्रहित स्टॉक के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। संग्रहण एजेन्सियों द्वारा कस्टम मिल्ड चावल का लेखा–जोखा अनुरक्षित किया जायेगा।

राज्य में स्थित खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राज्य भण्डारण निगम एवं केन्द्रीय भण्डारण निगम के प्रत्येक गोदाम में जहाँ स्टेटपूल योजना का कस्टम मिल्ड चावल संग्रहित किया जायेगा, वहाँ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की विपणन शाखा का स्टॉफ तैनात किया जायेगा, जो संग्रहित डिपोज से चावल की मात्रा उसकी गुणवत्ता की जाँचोपरान्त ही स्टॉक प्राप्त करेगा और उसे राष्ट्रीय खाद्यसुरक्षा योजना, अन्त्योदय अन्न योजना एवम् Tide Over Allocation में उप सम्भागीय विपणन अधिकारी द्वारा निर्गत रिलीज ऑर्डर के आधार पर निर्गमन करेगा। खाद्यायुक्त/सम्भागीय खाद्य नियंत्रक यह सुनिश्चित करेगें कि जिस वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक की तैनाती धान क्रय–केन्द्र पर होगी उसे कदापि स्टेटपूल डिपो पर तैनात नहीं किया जायेगा।

किसी केन्द्र पर सी0एम0आर0 के संग्रहण हेतु भण्डारण क्षमता की कमी होने पर अतिरिक्त संग्रहण क्षमता की आवश्यकता महसूस होती है तो सम्बन्धित केन्द्र के वरिष्ठ विपणन अधिकारी औचित्यपूर्ण प्रस्ताव सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को प्रेषित करेंगें।

प्राप्त प्रस्ताव खाद्यायुक्त कार्यालय में प्रेषित किया जायेगा जिस पर आयुक्त खाद्य द्वारा निर्धारित सीमा तक स्वयं तथा अनुमन्य सीमा से अधिक किराये की दरों की वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया जायेगा।

21–<u>कस्टम मिल्ड चावल का परिवहन</u> :–

चावल मिल से स्टेट पूल डिपो/भारतीय खाद्य निगम के डिपो तक कस्टम मिल्ड चावल का परिवहन सम्बन्धित चावल मिलर द्वारा सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा निर्गत मूवमेन्ट प्रोग्राम के आधार पर सुनिश्चित कराया जायेगा, जिसके परिवहन व्यय का भुगतान सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2018–19 हेतु स्वीकृत परिवहन दरों के आधार पर किया जायेगा। परिवहन व्यय के आकलन हेतु सम्बन्धित चावल मिल से स्टेट पूल संग्रह डिपो तक, उप सम्भागीय विपणन अधिकारी द्वारा सत्यापित दूरी अनुमन्य होगी। सी0एम0आर0 के सम्प्रदान हेतु सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा मिलवार/डिपोवार संचरण प्रोग्राम जारी किया जायेगा।

सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा मिलवार/डिपोवार संचरण प्रोग्राम निर्गत करने से पूर्व प्रत्येक वरिष्ठ विपणन अधिकारी से उसके कार्य क्षेत्र में पड़ने वाली चावल मिलों में निर्मित कस्टम मिल्ड चावल की सूचना प्राप्त की जायेगी। तद्नुसार ही संचरण प्रोग्राम निर्गत किया जायेगा।

सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा जारी संचरण प्रोग्राम के आधार पर प्रेषणकर्ता केन्द्र प्रभारियों द्वारा प्राप्तकर्ता केन्द्र प्रभारियों के साथ आपसी सामन्जस्य स्थापित करते हुए अपने–अपने केन्द्रों पर भण्डारण क्षमता का आंकलन कर तदनुसार सी0एम0आर0 का संचरण किया जायेगा ताकि प्राप्तकर्ता केन्द्र पर अनावश्यक रूप से ट्रक खडे न रहें। यदि भविष्य में इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती है तो प्रेषणकर्ता केन्द्र प्रभारी के साथ–साथ प्राप्तकर्ता केन्द्र प्रभारी भी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा दोषी कार्मिकों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक एवं उप सम्भागीय विपणन अधिकारी द्वारा भी इसका नियमित रूप से पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।

22– <u>क्रय केन्द्रो के संचालन एवम् अनुश्रवण हेतु स्टेशनरी, पी0ओ0एल0 एवम् अन्य मदों हेतु व्यवस्था</u>

खाद्य विभाग की विपणन शाखा द्वारा स्थापित क्रय–केन्द्रो पर खरीफ–खरीद सत्र 2018–19 के लिए स्टेशनरी आदि का क्रय, क्रय–केन्द्रों के निरीक्षणार्थ वाहन की उपलब्धता, पी0ओ0एल0, सरकारी गोदाम उपलब्ध न होने पर किराये के गोदाम लिया जाना, हैण्डलिगं परिवहन दरों का निर्धारण, कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए मानदेय, बोरो की आपूर्ति, धान का मूल्य भुगतान करने हेतु अधिकारों का प्रतिनिधायन एवं अन्य जो भी व्यवस्था खरीददारी के हित में आवश्यक होगी, उस पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी। स्टेशनरी, पी0ओ0एल0, टेलीफोन, विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार आदि के खर्च भी लेखाशीर्षक "4408–खाद्य–101–खरीद और पूर्ति–03–अन्नपूर्ति योजना–31–सामग्री तथा सम्पूर्ति" से नियमानुसार प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के तहत वहन किया जायेगा ।

23–<u>खाद्य नियंत्रण कक्ष एवं खरीद के आँकडों का प्रेषण</u> :–

राज्य स्तर पर धान खरीद की स्थिति के अनुश्रवण एवम् समीक्षार्थ खाद्य नियंत्रण कक्ष, आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, मसूरी

बाईपास, रिंग रोड़, लाडपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड के कार्यालय में स्थापित किया जायेगा, जो दिनाँक 01 अक्टूबर, 2018 से कार्यशील होगा। जनपद स्तर पर तथा सम्भाग स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष खोले जायेंगे। धान खरीद से संबधित एजेन्सीवार एवं जनपदवार सूचना संबधित जनपद के जिला खरीद अधिकारी/उप सम्भागीय विपणन अधिकारी/सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा प्रतिदिन ई–मेल के माध्यम से खाद्य नियंत्रण कक्ष को निर्धारित प्रारूप में प्रेषित की जायेगी। नियंत्रण कक्ष का ई–मेल foodcommfcs@gmail.com है ।

कच्चा आढतिया के माध्यम से की गयी धान कामन/ग्रेड–ए की दैनिक धान खरीद के ऑकडों का प्रेषण करने हेतु सम्भाग स्तर पर अनिवार्य रूप से एक नोडल आफिसर नियुक्त किया जायेगा। नोडल आफीसर द्वारा नियमित रूप से OPMS (Online Procurement Monitoring System) के अर्न्तगत कच्चा आढतिया द्वारा केन्द्रवार/जनपदवार दैनिक धान खरीद के आँकडे मण्डी आवक सहित संकलित कर खाद्य नियन्त्रण कक्ष, खाद्य आयुक्त कार्यालय एवं भारतीय खाद्य निगम को OPMS में प्रविष्टि हेतु नियमित रूप से उपलब्ध कराये जायेगें ।

24– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 160(1)मतदेय/XXVII(5)/18-19 दिनांक 25.09.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन),
प्रमुख सचिव

संख्या 669 (i)/18–XIX-2/41 खाद्य/2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2– प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
4– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
5– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय भवन, माजरा, देहरादून।
7– मण्डलायुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाँयू मण्डल, नैनीताल ।
8– महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, उत्तराखण्ड।
9– क्षेत्रीय प्रबन्धक, राज्य/केन्द्रीय भण्डारण निगम, उत्तराखण्ड द्वारा खाद्यायुक्त।
10– निजी सचिव, मा0 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री जी उत्तराखण्ड के संज्ञान में लाने हेतु प्रेषित।
11– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
12– वित्त नियन्त्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,, उत्तराखण्ड ।
13– नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उत्तराखण्ड ।
14– उपसम्भागीय विपणन अधिकारी, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, कुमायूँ सम्भाग/गढवाल सम्भाग, हल्द्वानी/देहरादून।
15– सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी, गढवाल सम्भाग/कुमाँयू सम्भाग ।
16– एनआईसी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार पाण्डे),
अनु सचिव।